न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– कैलाश चन्द्र शर्मा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 151/2015

1. पालसिंह पुत्र श्री बिकरसिंह जाति जटसिख निवासी लाधुवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – वादी

–:: बनाम ::–

1. केवल कृष्ण
2. रामकृष्ण

} पिसरान श्री लालचन्द जाति अरोड़ा निवासी बख्तावाली (19 एम.एम.) तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

3. निर्मला पत्नि श्री अमीरचन्द
4. सतपाल
5. राजकुमार
6. विजय कुमार

} पिसरान श्री अमीरचन्द जाति अरोड़ा निवासी बख्तावाली (19 एम.एम.) तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

7. सुनिता दुखतर अमीरचन्द जाति अरोड़ा निवासी बख्तावाली (19 एम.एम.) तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
8. राजकुमारी पुत्री श्री लालचन्द जाति अरोड़ा निवासी बख्तावाली (19 एम.एम.) तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
9. सुभाष पुत्र श्री जयचन्द जाति अरोड़ा निवासी बख्तावाली (19 एम.एम.) तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
10. सुनिता उर्फ रामदेवी पत्नि हरिकिशन जाति अरोड़ा निवासी बख्तावाली (19 एम.एम.) तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
11. अरविन्द
12. गुलशन

} पुत्रगण श्री हरिकिशन जाति अरोड़ा निवासी बख्तावाली (19 एम.एम.) तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

13. जयगोपाल पुत्र श्री नन्दलाल अरोड़ा निवासी वार्ड नम्बर 5 विजयनगर तहसील विजयनगर जिला जिला श्रीगंगानगर।
14. स्टेट आफ राजस्थान– जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा व खाता तकसीम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री रणजीत सारड़ीवाल अधिवक्ता — वादी
2. श्री तेजासिंह सन्धु अधिवक्ता — प्रतिवादी संख्या 1 ता 6, 8, 9

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 5.11.16

वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादी व प्रतिवादीगण के नाम से चक 20 एम.एल. (बी) खाता संख्या 23 में मुरब्बा नम्बर 12 में 1.518 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 31 में 0.620 हैक्टर, कुल 2.138 हैक्टर में 1/5 हिस्सा का वादी खातेदार रिकार्ड के अनुसार है, इसी प्रकार चक 20 एम.एल. (बी) के खाता संख्या 99/30 मुरब्बा नम्बर 12 में 1.518, व मुरब्बा नम्बर 31 में 0.620 हैक्टर कुल 2.138 हैक्टर रकबा में वादी का 0.356 हैक्टर भूमि खातेदारी दर्ज है।

वादी द्वारा चक 20 एम.एल. (बी) में लालचन्द पुत्र श्री नारायणदास से 23.13 बीघा भूमि मुश्तर्का खाता में से मुरब्बा नम्बर 31/33 किला नम्बर 1, 2, 3 के 2.09 बीघा भूमि

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

जैरिये बैयनामा दिनांक 20.08.1979 को खरिद की थी। जिसका इन्तकाल करते वक्त सहवन भूल से 2.09 बीघा का इन्तकाल ना होकर 1/5 हिस्से का इन्तकाल दर्ज हो गया। जबकि वादी द्वारा 2.09 बीघा भूमि खरिद की गई थी। इसी प्रकार खाते में इन्तकाल 2.09 बीघा का होना चाहिये था। इसी प्रकार वादी अपनी खरिद की हद तक खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाकर खाता अलग करवानें का अधिकारी व डिक्री लेनें का अधिकारी है।

चक 20 एम.एल. मुरब्बा नम्बर 29, 34, 54 में 16.11 बीघा भूमि व चक 20 एम.एल. (बी) में मुरब्बा नम्बर 12 के व मुरब्बा नम्बर 33 के 8.09 बीघा कुल 25.00 बीघा नहरी भूमि नन्दलाल पुत्र श्री गंगाराम के नाम से दर्ज थी, जिसमें वादी ने चक 20 एम.एल. (बी) के मुरब्बा नम्बर 33/31 किला नम्बर 3, 4, 5, 8, 9, 10 की 2.09 नहरी कुतरी रकबा जरिये बैयनामा दिनांक 13.12.1977 को खरिद किया था। इसका भी इन्तकाल 2.09 बीघा का नाम होकर हिस्से में कम दर्ज हो गया, लेकिन कब्जा खरिद के रोज से वादी के पास 4.18 बीघा का चला आ रहा है। और दुसरे पक्षकारों के पास भी खरिद के हिसाब से प्रतिवादीगण के पास कब्जा चला आ रहा है।

वादी ने पहले प्रतिवादी संख्या 14 से निवेदन किया कि मेरे दोनो रकबा बैयनामो के आधार पर 4.18 बीघा का इन्तकाल दर्ज करों, लेकिन पहले तो टाल मटोल करते रहे, बाद में यह कह दिया कि बैयनामा पुराना है, इसकि तो सैसन जज से घोषणा करवावो, उसके बाद ही आपके नाम से इस रकबा का इन्तकाल दर्ज होगा। इसके बाद वादी नें शेष प्रतिवादीगणों से भी कहा तो उनके द्वारा कथन किया गया कि हमे कोई एतराज नहीं है अदालत से आप अपना डिक्लेशन करवा लो हमारा रकबा कम नहीं होना चाहिये, जितना हम काश्त कर रहे है।

वादी नें प्रतिवादीगण को दुरूस्ती के साथ बंटवारा के लिये भी निवेदन किया कि जिस प्रकार से हम काबिज है, उसी प्रकार से भूमि का बंटवारा करवा लो, लेकिन प्रतिवादीगण तैयार नहीं हुए, जबकि वादी का रकबा जरिये बैयनामा खरिद किया हुआ है। वादी टिनेन्ट रिकार्डेड है, इसलिये वादी अपनी खरिद शुद्धा रकबा की घोषणा अधिकारों की करवाकर खाता विभाजन कर अलग कायम करवानें का अधिकारी है।

अतः वाद वादी प्रस्तुत कर निवेदन है, कि निम्नानुसार डिक्री फरमाया जावे :–

1. चक 20 एम.एल. (बी) के खाता संख्या 23/23 व खाता संख्या 99/23 में बैयनामा के आधार पर 4.18 बीघा भूमि कि घोषणा कर डिक्री करवाकर अपनें नाम से इन्तकाल करवानें का अधिकारी है।
2. वादी अपनें हिस्से की घोषणा के आधार पर व कब्जा काश्त के अनुसार 4.10 बीघा का खाता वादी का प्रतिवादीगण से अलग कायम कर प्रारम्भिक डिक्री जारी करके हिस्से के अनुसार और उसके बाद अन्तिम डिक्री प्रस्ताव मांग कर डिक्री फरमाई जावे।
3. उक्त खाते की घोषणा होनें के बाद खाता विभाजन करवा कर लगान अलग से कायम किया जावे।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। दिनांक 28.10.2015 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6, 7, 8 की और से तेजासिंह सन्धु अधिवक्ता उपस्थित आये प्रतिवादी संख्या 10 ता 12 बाद तामिल उपस्थित नहीं आनें के कारण प्रतिवादीगण संख्या 10 ता 12 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

दिनांक 20.11.2015 को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6, 7, 8 द्वारा जरिये अधिवक्ता जबाब दावा प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत वाद वादी स्वीकार करते हुए कथन किया कि वाद पत्र की चरण संख्या 6 में वर्णित तथ्य इस हद तक स्वीकार है, कि खाता संख्या

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

लगातार 3

23/23 के मुरब्बा नम्बर 31 किला नम्बर 1, 2 सालम, 3/2 में 0.114 हैक्टर रकबा, कुल 0.620 हैक्टर नहरी भूमि अर्थात 2.09 बीघा तथा खाता संख्या 99/30 के मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 3/1 में 0.114, 4 में 0.139, 5 में 0.051, 8 में 0.013, 9 में 0.101, 10 में 0.202, कुल रकबा 0.620 हैक्टर अर्थात 2.09 बीघा नहरी भूमि का दावे के अनुसार वादी के पक्ष में खाता विभाजन किया जाता है, तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है प्रतिवादी संख्या 7 बाद तामिल उपस्थित नहीं आने के कारण प्रतिवादी संख्या 7 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 29.12.2015 को स्टेट जबाब प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि मामला पक्षकारान के मध्य आपसी विवाद का होनें के कारण राज्य सरकार के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। बाद सुनवाई राज्य हित को ध्यान में रखते हुए गुण अवगुण के अधार पर निस्तारण किया जाना आवेदित है।

प्रतिवादी संख्या 13 को दिनांक 27.04.2016 को रजिस्टर्ड समन्न तलब किया गया प्रतिवादी की और से कोई उपस्थित नहीं आनें के कारण दिनांक 30.05.2016 को प्रतिवादी संख्या 13 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

उभयपक्ष में कोई प्रतिवादी नहीं होनें के कारण पत्रावली में तनिकीयात नही बनाई गई वादी द्वारा साक्ष्य पेश किये गये जिसे पर प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जिरह नहीं करनें पर दिनांक 18.10.2016 को बहस सुनी गई। दौरान बहस वादी के विद्धान अधिवक्ता द्वारा अपनें वाद पत्र के कथनो को दौहराते हुए वाद पत्र में चाहे अनुतोष के अनुसार ही वादी स्वीकार किये जानें हेतु निवेदन किया। तथा प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा भी अपनें जबाबदावा के कथनों को दोहराते हुए जबाबदावा के अनुसार विभाजन किये जानें पर अनाति जताई।

उभय पक्ष के विद्धान अधिवक्तागण की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद पाया कि वादी पालसिंह को चक 20 एम.एल. (बी) के खाता संख्या 23/23 के मुरब्बा नम्बर 31 में 2.09 बीघा रकबा विक्रय किया गया था लेकिन इस मुरब्बा में विक्रेता के नाम जो अधिकतम रकबा था उसका नामान्तरकरण कर दिया गया परन्तु ज्यादा भूमि थी ही नहीं इसलिये नामान्तरकरण किया जाना सम्भव नहीं था इस प्रकार अपनें हिस्से से अधिक भूमि विक्रय करनें का कोई अधिकार नहीं था। इसलिये वादी को भी हिस्से से अधिक भूमि प्राप्त करनें का कोई अधिकार नहीं है। इसी प्रकार चक 20 एम.एल. (बी) के खाता संख्या 99/30 में मुरब्बा नम्बर 31 में 2.09 बीघा भूमि के सम्बध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करनें से यह स्पष्ट नहीं हुआ के कितनी भूमि में से कितनी भूमि का बेचान हुआ और कितनी भूमि का नामान्तरकरण दर्ज हुआ के सन्दर्भ में कोई साक्ष्य पेश नहीं करनें के कारण पोषणीय नही है। अतः वाद वादी खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

यह आदेश आज दिनांक 4.11.16 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर